



Neutral Citation No. -2026: AHC:127947

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 20116/2026

प्रवीण

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : अतुल कुमार कुशवाहा

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अतुल कुमार कुशवाहा तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन वाद अपराध संख्या 69/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क), 351(3), 317(2) के अंतर्गत, थाना-भोपा, जनपद-मुज़फ्फरनगर में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई सरोकार नहीं है। आगे यह भी निवेदन किया गया कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त दिलशाद एवं फैजाब को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः, 21.05.2026 एवं 11.06.2026 को पारित आदेशों द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 16430/2026 एवं 16281/2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। उक्त जमानत आदेशों की प्रतिलिपियाँ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें अभिलेख का भाग बनाया जाता है। आवेदक का प्रकरण उपर्युक्त सह-अभियुक्तों के समान है। यह भी कहा गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह 19.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया, किन्तु, वे इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त दिलशाद एवं फैजाब को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त दिलशाद एवं फैजाब को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही उन पर

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्थगनादेश पारित किया गया है, एवं आवेदक 19.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उचित मानता हूँ।

7. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आदेश दिया जाता है कि आवेदक- प्रवीण को, जो उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त है को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं दो समान धनराशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।

(i) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञा-पत्र दाखिल करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, उस दिन वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह अनुपस्थित रहता है, बिना किसी पर्याप्त कारण के, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए/ 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) यदि, विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और वह उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए/209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद का आरंभ, (2) आरोप का गठन तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में उक्त अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानेगा तथा विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करें।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

17 जून, 2026

कीर्ति